न्यायालय—कुणाण वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 3044 / 2025 एस.सी.एन.आई.एक्ट

एच.डी.एफ.सी. बैंक............ परिवादी

विरूद्ध

शुक्ला एण्ड संस .... आरोपी

12.03.2026

परिवादी द्वारा श्री संदीप दुबे अधिवक्ता उपस्थित।

आरोपी अनुपस्थित।

प्रकरण आज अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण में आरोपी को जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अथवा अदम तामील वापस प्राप्त नहीं।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 लिखित परक्राम्य अधिनियम के अन्तर्गत विचारण किया जा रहा है। प्रकरण में अभियुक्त आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुआ है। अभियुक्त को नियत दिनांक को वारंट जारी किये गये है, परंतु प्रकरण में अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ है।

प्रकरण वर्ष 2025 से लंबित है। प्रकरण में आज अभियुक्त के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अथवा अदम तामील वापस प्राप्त नहीं हुआ है, न ही आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकी है, न ही तामिल कुनिंदा उपस्थित है, अतः वारंट की तामीली के निष्पादन में एवं पुलिस द्वारा तामीली कराये जाने में विफलताओं को देखते हुये एवं अभियुक्त की पूर्व पेशियों पर अनुपस्थिति से प्रतीत होता है कि अभियुक्त स्वयं को वारंट के निष्पादन से बचा रहा है अथवा फरार हो गया है। अभियुक्त के निकट भविष्य में मिलने की संभावना भी दर्शित नहीं होती है। फलतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 299 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है। अतः **अभियुक्त सुधीर शुक्ला द्वारा प्रो0 शुक्ला एण्ड कंपनी, निवासी गोवर्धन कॉलौनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर म0प्र0** के विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किए जावें। स्थाई वारंट की एक प्रति प्रकरण में संलग्न की जावे।

अतः प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जाकर इस निर्देश के साथ अभिलेखागार भेजा जावे कि प्रकरण में अभियुक्त फरार है। प्रकरण सुरक्षार्थ रखा जावे।

आरोपी की मुचलका राशि जप्ती के संबंध में पृथक से एम.जे.सी.आर. कामय की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही / –
(कुणाल वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
ग्वालियर (म.प्र.)

KUNAL VERMA

Digitally signed by KUNAL VERMA
Date: 2026.03.13 23:58:52 +0530